5/4/18 — नकुलाए पारिवर्तन उप० | समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 14/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

14.3.18 — पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्राथी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते......आदेश निर्णय हेतु
आगामी पेशी दिनांक.........16.4.18
को पेश हो । (हस्ताक्षर)

16.4.18 — पत्रावली पेश हुई, वादी का वाद-पत्र व.प्रति. क्र. 7 का काउण्टर क्लेम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली है। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।
आदेश सुनाया गया।
(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

16.8.18 — वादी एवं प्रतिवादी की ओर से 152 CPC का प्रा.पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश की गई। प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया एवं वाद-पत्र मुताबिक शजरा वादी एवं प्रति. क्र. 7 डिक्री हुआ शेष प्रतिवादीगण उप. नहीं है अब पुनः वादी एवं प्रतिवादी क्र. 7 के संशोधित शजरा पेश कर निर्णय व डिक्री में संशोधन चाहा है उभय पक्ष सहमत हैं अतः प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है, उसके अनुसार डिक्री में संशोधन किया जावे, शजरा संशोधन का हुक्म रहेगा। (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी का नामः—सुरेन्द्र सिंह, पुरोहित (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्याः—358/2159

1. जसवंत सिह पुत्र स्व.प्रकाश सिह जाति नाई सिख निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ।

—————वादी

बनाम

1. मोहन सिह 2. वीर सिह 3. जोगेन्द्र सिह 4. बिन्द्र सिह 5. सतनाम सिह पि. स्व. प्रकाश सिह अकवाम नाईसिख नि. चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ 6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ 7. हरबंश लाल पुत्र माछी राम आरोडा नि. डबलीराठान तहसील हनुमानगढ।

—————प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री बलविन्द्र सिह एडवोकेट—वादी
श्री गुलाब सिह बराड एडवोकेट—प्रति0 7

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 ,88 व 188 आर.टी.ए.

दिनांकः— 16.4.18

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 व उनके दिवगंत भाई श्री सोहनसिह के नाम वाद पत्र के चरण संख्या 2 अनुसार चक 16 एसजीटी खाता संख्या 143/121 में 6.325 है. इसी चक के खाता संख्या 142/113 में 1.518 है. व चक 18 एस टी जी खाता संख्या 131/129 में 3.542 है. दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 क की कृषि भूमि में सोहन सिह का 1.104 है. हिस्सा दर्ज था। वादी के भाई सोहन सिह ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की जिससे उक्त भूमि बहिस्सा बराबर प्राप्त होकर नामांतरित हुई जिससे वादी का कुल हिस्सा 0.297 है. हो गया है। खाता संख्या 142/113 की कुल 1.518 है. भूमि में स्व. सोहन सिह का 1/2 हि. दर्ज था अर्थात उसके हिस्सा की 0. 759 है. भूमि थी जो वसीयत के माध्यम से वादी सहित उसके 6 भाईयो में न्यागत हुई इस खाता में वादी को 0.126 है. भूमि का हिस्सा प्राप्त हुआ। खाता संख्या 131/129 चक 18 एस टी जी की कुल भूमि 3.542 है. में दिवंगत सोहन सिह का 0.506 है. का हिस्सा दर्ज था जो जरिये वसीयत उसके भाईयो के नाम बहिस्सा बराबर नामांतरित हुआ व इस अनुसार वादी को .506 है. भूमि का का 1/6 भाग की भूमि 0.084 है. हिस्सा प्राप्त हुआ। इस प्रकार वादी का उक्त तीनो खातो की 2.00 बीधा भूमि प्राप्त हुई

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

है। वादी व उसके भाईयो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने काश्त की सुविधा व भूमि के एकीकरण करने के उदेश्य से परस्पर रजामंदी से घरेलू विभाजन गत वर्ष कर लिया वादी को खाला रास्ता की सुविधा प्रदान करते हुए एक ही स्थान पर चक 16 एसटीजी के प.न. 74/301 के किला नम्बर 23,24व 25 में उत्तरी तरफ की क्रमशः 13 ,13 व 14 बिस्वा भूमि घरेलू विभाजन में प्राप्त हुई व उसी अनुसार काबिज है।

प्रतिवादीसंख्या 1 ता 5 का किन्ही पारिवारिक बातो को लेकर वादी से नाराज रहने लगे है व वादी के कब्जा काश्त आराजी से उसे बेदखल करने व नलकूल एवं रास्ता को बन्द करने का प्रयासरत है। यहा यह उल्लेखनीय है कि खाता संख्या 143/121 की कुल 6.325 है. भूमि में वादी का हिस्सा वर्तमान में राजस्व अभिलेखो में मात्र 0.297 है. ही दर्ज है जबकि घरेलू विभाजन में वादी को इस खाता से 0.507 है. भूमि प्राप्त हुई है जिस पर वादी का भौतिक रूप से कब्जा काश्त है तथा वादी अपने हक में घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है और यदि इसमें विधिक बाधा पैदा होती है तो वादी अपने अधिकारो से वंचित हो जायेगा। इस लिए वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 1 ता 5 शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे उसे घरेलू विभाजन से प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मान ले व उसके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करे तथा प्रश्नगत भूमि को अंतरित नही करे तो वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। अतः वादीगण का वाद पत्र मद संख्या 8 के बिन्दु संख्या क से घ अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया मूल लिफाफा लेने से इन्कार रिपोर्ट के साथ प्राप्त जिसे यह मानते हुए कि प्रतिवादीगण को सूचना हो चुकी है निश्चित पेशी पर हाजिर नही आने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 6 की और से जवाब स्टेट पेश किया गया जिसमें राज्य पक्ष को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नही की गई है। प्रतिवादी संख्या 7 की और से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया व जरिये काउण्टर क्लेम चरण संख्या 11 अनुसार खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 7 की और से दिनांक 8.12.2016 को लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पक्ष में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 16 एस टी जी खाता संख्या 143/121 संवत 2070–73 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 18 एस टी जी खाता संख्या 131/129 संवत 2067–70 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 16 एस टी जी खाता संख्या 142/113 संवत 2070–73 प्रदर्श 3, नजरी नक्शा प्रदर्श 4, ठेकानामा की चित्र प्रति, साक्ष्य वादी में वादी जसवंत सिह का शपथ पत्र व साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 7 हरबंश लाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

वाद पत्र को कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही किये गये। वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के अभिभाषक की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र का व प्रतिवादी संख्या 7 के काउण्टर क्लेम का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के मध्य राजीनामा हो चुका है जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिन्होने सम्मन लेने से इन्कार कर दिया मूल सम्मन लिफाफा पर उक्त विभागीय तहरीर अंकित है जो शामिल पत्रावली है। इसे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की मौन स्वीकृति माना जा सकता है। इस प्रकार हमारे समक्ष वाद पत्र व काउण्टर क्लेम का कोई विरोध नही आने व परस्पर राजीनामा पेश होने से वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 7 का काउण्टर क्लेम मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 7 का काउण्टर क्लोम मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 7 को राजीनामा में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा अनुसार खाता विभाजन की स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। वादी व प्रतिवादी संख्या 7 का राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री अलग–अलग खाता कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही डिक्री का अमल दरामद किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.4.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
एवं हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इबतदाई

(ओर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), हनुमानगढ़

ब इजलास : श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

जसवंत सिंह पुत्र स्व.श्री प्रकाश सिंह जाति नाई सिख निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— वादी

बनाम

1. मोहन सिंह
2. वीर सिंह
3. जोगेन्द्र सिंह
4. बिन्द्र सिंह
5. सतनाम सिंह

सभी पुत्रान स्व.प्रकाश सिंह अकबाम नाई सिख निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ़।
7. हरबंसलाल पुत्र माछीराम अरोड़ा निवासी डबलीराठान तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 358 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री बलविन्द्र सिंह एडवोकेट मिन जानिब मुदई व श्री गुलाब सिंह बराड़ एडवोकेट मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या–7 का काउन्टर क्लेम मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व वादी तथा प्रतिवादी संख्या–7 को राजीनामा में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या–7 का राजस्व रिकार्ड के मुताबिक डिक्री, अलग अलग खाता कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। यदि प्रश्नगत रकबा रहन हो तो ऋण चुकता का

——2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रमाण पत्र पेश करने पर ही डिक्री का अमलदरामद किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.4.18 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
ओहदा हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	100	00	स्टाम्प अर्जीदावा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	X	X	स्टाम्प वकालतनामा	X	X
स्टाम्प वजह सबूत	X	X	स्टाम्प वजह सबूत	X	X
महनताना वकील	X	X	महनताना वकील	X	X
खर्चा गवाहान	X	X	खर्चा गवाहान	X	X
फीस कमिशनर	X	X	फीस कमिशनर	X	X
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	X	X	बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	X	X
मीजान	100	00	मीजान	2	00

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

संशोधन डिक्री दिनांक 24.4.2018 वाद संख्या 358/2015
जसवंत सिह बनाम मोहन सिह आदि संशोधन आदेश दिनांक:—16.8.

प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार कर पूर्व में पारित डिक्री राजीनामा में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि वादी जस का 0.505 हिस्सा के स्थान पर 0.507 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त क अधिकारी है। चक 16 एस टी जी खाता संख्या 98/143 में वादी 0.297 ज.स. 2074–77 में दर्ज है इसी चक के पत्थर नम्बर 74/3 किला नम्बर 23 में 0.164 है. किला नम्बर 24 में 0.164 है. व किला 25 में 0.178 है. कुल 0.506 हैक. कृषि भूमि वादी जसवंत सिह का विभाजन कर रकम राज अलग कायम की जावे। इसी प्रकार प्रार्थी को सांझे खाते में 0.209 हैक्टर हिस्सा चारो मोहनसिह,वीरसिह,बिन्दरसिह व जोगेन्द्र सिह प्रत्येक से 0.05225 है.वि बराबर प्राप्त करना है। पत्थर नम्बर 98/142 में जो जसंवत सिह का हि 0.126 हैक. है, वह चारो भाईयो मोहन सिह, वीरसिह,बिन्दर सिह, जो सिह प्रत्येक को 0.0315 हैक. बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। खाता सं 130/131 में 0.084 हिस्सा चारो भाईयो प्रत्येक को 0.021 हैक. बहि बराबर दर्ज होकर खाता दुरूस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner